न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 19 /2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह उम्र 50 वर्ष।
2 शक्ति सिंह पुत्र श्री करण सिंह उम्र 34 वर्ष।
3 धनवन्ती कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह उम्र 35 वर्ष।
4 हरिसिंह पुत्र इन्द्र सिंह उम्र 50 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

Web Copy - Not Official

1 उम्मेद सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
2 तहसीलदार महोदय सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं दिनांक 19.01.18
न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
मुकदमा नं. 35/2016 जो बउनवानी वाद
उम्मेद सिंह बनाम सज्जन सिंह आदि में पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

की गयी अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. व सपठित धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 42 /2018

1 उम्मेद सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 सज्जनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह।
2 शक्तिसिंह पुत्र करण सिंह।
3 राज कंवर पत्नी करण सिंह।
4 सिद्वार्थ सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता धनवन्ती कंवर पत्नी रघुवीर सिंह।
5 सरजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह।
5/1 सुरबाला कंवर पुत्री रघुवीर सिंह।
6 धनवन्ती कंवर पत्नी रघुवीर सिंह।
7 हरिसिंह पुत्र इन्द्र सिंह।
8 महेन्द्रपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
9 विक्रम सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
10 भवानी सिंह पुत्र हनुमान सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11 रतन कंवर पत्नी हनुमान सिंह।
12 सिरे कंवर पत्नी इन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
13 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक तारपुरा जिला सीकर।
14 पंजाब नेशनल बैंक पिपराली जिला सीकर।
15 सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक सीकर।
16 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
17 पटवारी पटवार हल्का तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
18 तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 19.01.18
मु.नं. बउनवानी उम्मेदसिंह बनाम सज्जनसिंह आदि
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर जिसमें
बैंको के ऋण अदायगी की अनापति के बाद राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया गया
उस सीमा तक

उपस्थित

1. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता
2. श्री सादिक अली गौरी अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

* सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः–20.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा वाद संख्या 35/2016 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.01.2018 के विरूद्व 2 अलग–अलग अपील प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि एक ही होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिया दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 596,559,600,597 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने वादी का वाद विचाराधीन निर्णय से डिकी किया है लेकिन अन्त में यह अंकित कर दिया है कि प्रतिवादी संख्या 13 से 16 के हक सुरक्षित रखने के लिए जिन खातेदारों ने ऋण लेकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को बंधक रखा हुआ है। उक्त खातेदारों की बंटवारे में रास्ते के लिए काम आई भूमि का रकबा कम हो जाने से बैंको के हक प्रभावित होने से तहसीलदार सीकर को आदेश दिया है कि निर्णय की पालना करने एंव राजस्व रिकार्ड में अमल करने से पहल सम्बंधित रहन सुधा खातेदार से सम्बंधित बैंक में ऋण जमा करवाकर अनापत्ती प्राप्त करने के बाद ही राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाये इससे व्यथित होकर अपील संख्या 42/2018 प्रस्तुत की गई है। इसी निर्णय के विरूद्व विभाजन में प्रस्तावित रास्ते से व्यथित होकर अपील संख्या 19/2018 प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तावित नक्शे में रिकार्ड के अनुसार सड़क नही है 597 मीटर रास्ते से दो भागो में विभाजित नही होती है। विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज है जिस रास्ते को रास्ता बता रहे है वो मौके पर मौजुद नही है मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन होता है तो कोई आपत्ति नही है। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति भी की है रास्ते को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव दिया है जो विधि विरूद्व है इससे हमारी जोत दो भागो में विभाजित हो जायेगी यह रास्ता आम हो जायेगा असामाजिक तत्व भूमि में आ जायेगें। ऐसा कोई कानून नही है कि ऋण चुकाकर ही अमल दरामद किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सभी सहखातेदारों का बराबर बराबर जमीन मिली है इनकी अपील पोषणीय नही है विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया का पालन कर निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत उभयपक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुने बिना रास्ता कायम करने एवं अंतिम डिकी के अन्त में तहसीलदार को ऋण चुकाने पर अमल करने का आदेश दिया है जिसे हम प्रथम दृष्तया ही विधि सम्मत नही पाते है क्योकि सहखातेदारी की भूमि पर जिन काश्तकारों ने बैंक से ऋण ले रखा है उसे चुकता करने की जिम्मेदारी उन्ही की है इसके एवज में उनका हिस्सा बंधक है इससे विभाजन पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है विचारण न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की आपत्ति पर विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करना चाहिए था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिकी अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर